(2)

न्यायालय तहसीलदार, सूरजगढ़, जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी ::: सतीश कुमार, R.T.S.
मिसल नं. ::: 20/2021

सरकार बनाम बाबुलाल शर्मा पुत्र रामकुमार, जाति– ब्राम्हण, निवासी– देवरोड़

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत

निर्णय दिनांक 07.07.2021

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। इस प्रकरण में संक्षेप में मामला इस प्रकार से है कि गैर सायल बाबुलाल शर्मा पुत्र रामकुमार, जाति– ब्राम्हण, द्वारा मौजा देवरोड़ की राजकीय भूमि ख.नं. 490 कुल रकबा 0.2600 है0 किस्म गै.मु. रास्ता में से 0.0006 है0 भूमि पर पक्की दीवार बनाकर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत की गई। हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज रजिस्टर किया गया। गैर सायल को नोटिस जारी किया गया। गैर सायलान ने हाजिर अदालत होकर जवाब नोटिस पेश किया जिसमें दीवार स्वयं हटा लेने बाबत लिखा है तथा कार्यवाही ड्रोप किये जाने हेतु निवेदन किया है। गैर सायलान का जवाब संतोषप्रद नही माना जा सकता। अतः रिपोर्ट पटवारी हल्का को सही मानते हुए गैर सायलान को उपरोक्त विवादित भूमि का अतिचारी घोषित किया जाकर उनके विरूद्ध बेदखल करने के आदेश दिये जाते है। आर्थिक दण्ड स्वरूप सरह लगान का 50 गुणा तावान 5 रू. कायम किया जाता है।

तहसील राजस्व लेखाकार के अभिलेख में तावान राशि की कायमी करवाई जावें। पटवारी/ गिरदावर हल्का को तावान वसूली एवं मौका बेदखली हेतु लिखा जावें । मिसल फैसल शुमार होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 07.07.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सतीश कुमार)
तहसीलदार, सूरजगढ़

रा० ले० स० 4 के पृष्ठ सं.....10.....
वर्ष 2021-22 में रूपये...5/-... कायम
राजस्व लेखाकार